<u>बिहार सरकार</u>

<u>बिहार तकनीकी सेवा आयोग,</u>
<u>19, हार्डिंग रोड, पटना।</u>

<u>सूचना</u>

विज्ञापन संख्या–16/2019 अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन के आधार पर दिनांक–12.08.2020 से लेकर 18.08.2020 तक दो पालियों में (प्रथम पाली 10.30 पूर्वा० से 1.30 अप० तक) तथा (द्वितीय पाली 2.30 अप० से 5.30 अप० तक) कॉउसिलिंग (Counselling) का कार्य ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में किया जायेगा।

अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार निर्धारित तिथि को विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति, एम०बी०बी०एस० के सीभी वर्षों के अंक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, आवेदन की डाउनलोडेड प्रति तथा सत्यापन हेतु इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहे।

(1) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र) लाना अनिवार्य है।

(2) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रिमीलेयर से संबंधित घोषणा–पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर)।

(3) अनुसूचित जाति/अुनसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थयी निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) लाना अनिवार्य है।

(4) EWS के अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(5) सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(6) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के द्वारा जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(7) पहचान–पत्र (फोटो युक्त)।

(8) 5 पासपोर्ट साइज के अधतन फोटोग्राफ।

(9) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब कॉसिंलिंग के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के अचंल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रामण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(10) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 एवं पत्रांक–704, दिनांक–10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अचंल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

कॉसिंलिंग के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः ऑपबंधिक है। कॉसिंलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। कॉसिंलिंग के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। कॉसिंलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी को भी कॉसिंलिंग स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।

आवश्यक निदेश

(1) सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी कोरोना महामारी के आलोक में 2.00 बजे अप० के पहले कॉसिंलिंग स्थल के अन्दर एवं उसके बाहरी चारदिवारी के किसी भी तरफ इक्कठ्ा नहीं होगें। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी को कॉसिंलिंग स्थल पर 2.00 बजे अप० से ही अन्दर आने की अनुमति होगी।

(2) सभी अभ्यर्थी फेस मास्क निश्चित रूप से लगाकर ही कॉसिलिंग में भाग लेंगें एवं आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखेगें।

(3) कॉसिलिंग टेबूल पर जाने के पूर्व सभी अभ्यर्थी स्वयं को पूर्ण रूप से सेनिटाइज्ड कर लेंगें। सभी अभ्यर्थी सेनेटाइजर की व्यवस्था स्वय करें।

(4) कॉसिलिंग के पश्चात् बगैर कहीं रूके हुए कॉसिंलिंग स्थल से बाहर चले जायेगें।

(5) कॉसिंलिंग स्थल पर कोरोना से संबंधित स्क्रिनिंग करने के पश्चात् ही कॉसिंलिंग में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। स्क्रिनिंग में असफल अभ्यर्थियों को कॉसिंलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) कोरोना से संक्रमित अथवा संदेहास्पद किसी भी अभ्यर्थी को कॉसिंलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(7) कॉसिलिंग टेबल पर 6 फीट की दूरी से ही कॉसिलिंग टीम मे सम्मलित पदाधिकारी/कर्मी से वार्ता करेगें एवं अपना कागजात का सत्यापन करायेगें।

(8) कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए सुराक्षात्मक सुझावों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है।